न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन, जिला बूंदी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— साक्षी शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या :— Reg.Cri.Case/110/2018
सी.आई.एस. नंबर :— Reg.Cri.Case/110/2018
सी एन आर नंबर :— RJBD080002702018

निर्णय दिनांकः— 10.04.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 385/2017 अन्तर्गत धारा 8/15 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर, सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**1. नरेन्द्र उर्फ कम्मु** पुत्र छेलबिहारी उम्र 39 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 13 लाल चौक के.पाटन, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **2. रामनारायण** पुत्र फातुलाल उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड न. 8 के.पाटन थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री खुशी मोहम्मद पठान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।
अपराध की तिथि	21.09.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21.09.2017
आरोप पत्र की तिथि	15.02.2018
आरोप के विरचना की तिथि	05.03.2018
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	01.08.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	10.04.2026
निर्णय की तिथि	10.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	—

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	नरेन्द्र उर्फ कम्मु	21.09.17	06.10.17	8/15 एनडीपीएस एक्ट	दोषमुक्त	—	दिनांक 21.09.17 से 06.10.17 तक कुल 15 दिवस
2.	रामनारायण	21.09.17	06.10.17	8/15 एनडीपीएस एक्ट	दोषमुक्त	—	दिनांक 21.09.17 से 06.10.17 तक कुल 15 दिवस

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	रामसहाय	ताईद मालखना नकल
अ.सा.–2	पवन कुमार	ताईद फर्द चैकिंग व जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका व बयान 161 जा.फो.
अ.सा.–3	लक्ष्मण लाल	ताईद एफ.आई.आर., फर्द चैकिंग व जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका व बयान 161 जा.फो. व एफ.आई.आर. चाक करना
अ.सा.–4	नरेश कुमार	बयान 161 जा.फो.
अ.सा.–5	वासुदेव	अनुसंधान अधिकारी
अ.सा.–6	यशपाल	ताईद धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना देना
अ.सा.–7	अनिल	माल एफ.एस.एल. जमा करवाना
अ.सा.–8	रामानंद यादव	चार्जशीट कता करना

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी –	–	–

(ग) न्यायालय साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

(क) अभियोजन :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.–1	असल मालखाना रजिस्टर
2.	प्र.पी.–1ए	असल मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
3.	प्र.पी.–2	फर्द जब्ती
4.	प्र.पी.–3	स्वतंत्र गवाह तलब करने बाबत नोटिस
5.	प्र.पी.–4	स्वतंत्र गवाह बनने बाबत लिखित सहमति
6.	प्र.पी.–5	फर्द गिरफ्तारी रामनारायण
7.	प्र.पी.–6	फर्द गिरफ्तारी नरेन्द्र उर्फ कम्मु
8.	प्र.पी.–7	फर्द नमूना सील
9.	प्र.पी.–8	फर्द नष्टीकरण
10.	प्र.पी.–9	फर्द पुनः नमूना सील

11.	प्र.पी.—10	घटनास्थल का नक्शा मौका
12.	प्र.पी.—11	57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना
13.	प्र.पी.—12	चाक एफ.आई.आर.
14.	प्र.पी.—13	जब्तशुदा माल की एफ.एस.एल. रिपोर्ट
15.	प्र.पी.—14 लगायत प्र.पी. —16	नकल रपट रोज आम
16.	प्र.पी.—17	कम्मु व रामनारायण का आपराधिक रिकॉर्ड
17.	प्र.पी.—18	माल एफ.एस.एल. हेतु जमा कराया जिसकी रसीद
18.	प्र.पी.—19	माल एफ.एस.एल. जांच हेतु जमा कराने का अग्रेषण पत्र

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
—	—	—

—:: निर्णय ::— **दिनांक 10.04.2026**

07 वर्ष से अधिक पुराना निर्णय

1. इस आपराधिक प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्री लक्ष्मणलाल उ.नि. थाना के.पाटन दिनांक 21.09.2017 को मन लक्ष्मणलाल एस.आई. मय जाप्ता पवन कुमार कानि. 223 व महावीर कानि. 1069 के मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध एवं गुण्डा बदमाशान एवं अवैध कार्य हेतु समय 4.43 पी.एम. पर थाने से पाईवेट साधन से रवाना होकर गश्त बस स्टेन्ड के पाटन, एसडीएम कार्यालय करता हुआ राज राजेश्वर रोड पर काली देवरी मन्दिर के सामने आम रोड़ पर खड़े होकर आने जाने वाले वाहनों की चैंकिग कर रहे थे तभी समय 5.10 पी. एम पर पटोलिया गांव की तरफ से एक मोटरसाईकिल टी.बी.एस पर दो व्यक्ति बैठकर आते नजर आये जो पुलिस जाब्ते को बावर्दी देखकर मोटरसाईकिल को वापस घुमाकर जाने लगे, जिनको मन एसआई ने

हमराही जाब्ते की मदद से भागकर सावधानीपूर्वक रोका व देखा तो दोनों के बीच मोटरसाईकिल पर एक प्लास्टिक की थैली सफेद रंग की रखी हुई है। जिनसे नाम पता पूछा तो मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम नरेन्द्र उर्फ कम्मु व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामनारायण बताया,ा जिनसे दोनों के पास मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 08 एस.के. 5264 टी. वी.एस. स्पोर्टस है। उक्त दोनों व्यक्तियों से दोनों के बीच मोटरसाईकिल पर रखी प्लास्टिक की सफेद थैली के बारे में पूछा तो पशीने से लथपथ हो रहे हैं व घबरा रहे हैं। थर—थर कांप करे हैं। प्लास्टिक की थैली में क्या है इस बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दहे रहे हैं। उक्त दोनों का आचरण संदिग्ध लगता है। ऐसी स्थिति में नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनारायण तथा दोनों के बीच मोटरसाईकिल के बीच में रखी हुयी थैली की चैकिंग कार्यवाही अति आवश्यक होने से समय 05:20 पी.एम. पर पवन कुमार कानि. को दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु लिखित में नोटिस देकर रवाना किया गया, जिसने 10 मिनट बाद वापस आकर अपना जवाब लिखित में पेश किया कि उसने आसपास स्वतंत्र गवाहान तलाश किये लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नही है। जिस पर हमराही जाप्ते में से पवन कानि. व महावीर कानि. की लिखित में सहमति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह मामूर कर मन एस. आई. की तलाशी गवाहान को देकर तथा गवाहान की तलाशी मन एस. आई. ने लेकर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने से नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनारायण के बीच में मोटरसाईकिल पर रखी हुयी सफेद कलर की प्लास्टिक की थैली को नीचे उतारकर थैली का मुहं खोल कर देखा तो उसमें मटमेले कलर का चूरा भरा हुआ था, जिसको मन एस.आई. ने सूंघा व हमराही जाप्ता को सूंघाया तो सभी ने अपने अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ अफीम के डोडे का चूरा होना बताया तथा संदिग्ध नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनारायण के कब्जे से मिली प्लास्टिक की थैली में रखे डोडा चूरा का अनुसंधान बॉक्स में मौजूद इलेक्ट्रोनिक कांटा से तोल किया तो थैली सहित 496 ग्राम मय बारदाना व थैली से निकाल कर तोल किया तो शुद्ध वजन 490 ग्राम हुआ। संदिग्ध नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनारायण से अपने कब्जे में मिले अवैध मादक पदार्थ डोडा पूरा रखने, लाने व ले जाने बाबत लाइसेंस चाहा तो दोनों ने अपने पास कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। दोनों व्यक्तियों का उक्त कृत्य धारा 8/15 एनडीपीएस एक्अ के तहत दण्डनीय होने से उकने कब्जे से मिली शुद्ध अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा 490 ग्राम मे ंसे 50—50 ग्राम दो सेम्पल नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल निकालकर प्लास्टिक की छोटी थैली में रखकर कपड़े की थैली में पृथक—पृथक रखकर मन एस.आई. की निजी शील से शील्ड मोहर कर मार्क ए से बी दिया गया। शेष बचे अवैध मादक पदार्थ 390 ग्राम डोडा चूरा को उसी प्लास्टिक की थैले में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क सी गया व दरोनों के कब्जे में मिली मोटरसाईकिल न. आर.जे. 08 एस.के 5264 टी.वी.एस. स्पोर्ट चैचिस नं. एम.डी.625एम.एफ. 50सी.पी. 71994 व इंजन नं. सी.एफ.एस.पी.सी.आई.818705 को बतौर

वजह सबूत जब्त किया गया। दोनों मुलजिमानों को जर्ये फर्द गिरफ्तरी पृथक से गिरफ्तार किया गया।

2. इसके आधार पर पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 385/2018 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। बहस प्रसंज्ञान सुनी गयी। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त धारा के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर पत्रावली पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने सुन एवं समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से कुल 8 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श पी.1 से प्रदर्श पी. 19 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। अभियुक्तगण के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया और स्वयं ने कथन किये कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क पेश किये की अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य द्वारा अभियोजन कहानी को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है। प्रमुख साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर उसे कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

6. उक्त तर्को के विरोध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क रहे हैं कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से परिक्षित करवाये गये सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं और प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह न्यायालय में परीक्षित नहीं हुए है। धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस साबित नहीं हुआ है। रोजनामचा रपट में रवानगी बाबत् कोई अंकन नहीं है। ऐसे में अभियोजन का संपूर्ण प्रकरण केवल संदेह के आधार पर शेष रहता है, जिसके बिनाह पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अंत में अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अभियुक्तगण को आरोपित

अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

7. सुना गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगणगण के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है कि—

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.09.2017 को समय 05:20 पी.एम. या उसके लगभग मौजा राजराजेश्वर रोड़ के.पाटन में अन्य साथी अभियुक्त के साथ एक टीवीएस मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 08 एस.के. 5264 पर अपने सज्ञान कब्जे में एक प्लास्टिक की थैली में 496 ग्राम डोडा चूरा कब्जे में रखकर परिवहन करते पाये गये? एतत्द्वारा आपके एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है?

2. यदि हां, तो अभियुक्तगण के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में पत्रावली पर आयी समस्त अभियोजन साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का समग्र विवेचन व अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है—

<u>विचारणीय बिन्दु सं. 1—</u>

9. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संदर्भ में पत्रावली पर आयी समस्त अभियोजन साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का समग्र विवेचन व अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिनियम, 1985 की धारा 8/15 के आरोपित अपराध को साबित करने के लिये कुल 8 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत कर परिक्षित करवाये हैं। प्रकरण में जप्तीकर्ता लक्ष्मण लाल उ.नि. द्वारा पुलिस थाना के.पाटन पर फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी—2 पेश किये जाने पर आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ हुई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जप्तीकर्ता न्यायालय के समक्ष पी.डब्लू—3 लक्तमण लाल के रूप में परिक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ बयानों में फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी—2 में अंकित तथ्यों की सम्पुष्टि करते हुए कथन किये हैं कि दिनांक 21.09.2017, को थाना के. पाटन में एस आई के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह, मय जाप्ता पवन कुमार कॉस्टेबल, महावीर मीणा कानि. के साथ में मय अनुसंधान बॉक्स के अवैध कार्यों की चौकिंग हेतु, थाना 4:43 पी एम पर प्राईवेट वाहन से

रवाना होकर गश्त करते हुये, राजराजेश्वर रोड़ पर काली देवरी के मंदिर के सामने आम रोड पर खेडे होकर वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। तभी 5:10 पी एम पर पाटोलिया गाँव की तरफ से एक मोटरसाईकिल टी वी एस नम्बर आर जे 08 एच के 5264, पर दो व्यक्ति बैठ कर आते हुये नजर आये, जो पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल को घुमाकर वापस जाने लगे, जिनको उसने जाप्ते की मदद से रोका तो देखा दोनों के बीच मोटरसाईकिल पर एक प्लास्टिक की थैली, सफेद रंग की रखी हुयी थी। दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा, तो मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम नरेन्द्र उर्फ कम्मु पुत्र छेलबिहारी जाती ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 13 के. पाटन को होना बताया व मोटसाईकिल पर पीछे बैठे हुये व्यक्ति ने अपना नाम रामनाराण पुत्र फातू लाल जाती कोली उम्र 30 साल निवासी के. पाटन का होना बताया। दोनों से मोटरसाईकिल पर रखी प्लास्टिक के थैली के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया व घबराकर पसीना—पसीना हो गये। जिस पर थैली की तलाशी लेना व आवश्यक होने पर 5.20 पी एम पर, पवन कुमार कानि. को स्वतंत्र गवाह तलब करने हेतु लिखित में नोटिस देकर रवाना किया गया। जिसने 10—15 मिनट बाद वापस आकर लिखित में बताया की कानूनी पेचीदगी के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं है। जिस पर जाप्ते में से पवन कुमार कानि. व महावीर कानि. को स्वतंत्र गवाह बाबत लिखित में सहमती प्राप्त कर गवाह मामूर कर मन एस आई की तलाशी गवाहों को देकर व गवाहों की तलाशी मन एस आई ने ली, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनाराण के बीच में मोटरसाईकिल में रखी सफेद प्लास्टिक की थैली मुंह खोलकर देखा तो उसमें मटमैले कलर का चूरा भरा हुआ था। जिसको उसने सूंघा व परखा व जाप्ते को भी सूंघाया व परखाया, तो सभी ने अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ अफीम के डोडे का चूरा होना पाया नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनारायण ने भी अफीम के दोडे का चूरा होना स्वीकार किया। जिस पर अफीम के डोडे के चूरे की थैली सहित, इलैक्ट्रोनिक कांटे से तोल किया तो 496 गाम पाया गया, जिस पर बारदाना थैली से निकालकर शुद्ध वजन किया तो 490 ग्राम पाया गया। नरेन्द्र उर्फ कम्मू व रामनारायण से मादक पदार्थ अफीम के डोडे का चूरा रखने बाबत लाइसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। मुलजिमान का कृत्य धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंण्डनिय होने से शूद मादक पदार्थ अफीम के डोडे के चूर 490 ग्राम में से 50—50 ग्राम के नमूना सेम्पल व कंट्रोल सेम्पल निकालकर प्रथक थैलियों में रखकर कपडे की प्रथक थैलियों रखकर स्वयं की निजी शील्ड मोहर कर, मार्क ए व बी दिया गया, शेष बचे मादक पदार्थ, 390 ग्राम अफीम के डोडे के चूरे को उसी प्लास्टिक की थैली में रखकर कपडे की थेली में शील्ड मोहर कर मार्क सी अंकित किया। दोनों के कब्जे से मिली मोटरसाईकिल, आर जे 08 एस के 5264 को जप्त कार मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया व जिस शील से माल को शील्ड मोहर किया गया था। उसकी फर्द बनाकर शील को नष्ट किया गया व फर्ट नष्टीकर शील मुर्तिब की मय माल मुलजिमान के थाने पर पहुंच कर माल को थाने की सिल से पुनः शील्ड

मोहर किया गया। मुलजिमान के विरूद्ध प्रकरण संख्या 385/17 धारा 8/15 एनडीपीएस में दर्ज कर उच्च अधिकारी के आदेश से अनुसंधान वासुदेव थानाधिकारी कॉप्रेन को सुपुर्द किया गया। शील्ड शुदा पैकैट, मार्क ए बी सी को जमा माल खाना करवाया व मुलजिमान को बन्द हवालात किया। पवन कुमार कानि. को स्वतंत्र गवाह को तलब करने हेतु, लिखित में नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व ए से बी पवन कुमार कानि. का जवाब है। पवन कुमार कानि. व महावीर मीणा कानि. से स्वतंत्र गवाह बनने बाबत लिखित में सहमति प्राप्त की था, जो प्रदर्श पी 04 है जिस ई से एफ व जी से एच गवाहान की सहमति है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान नमूना शील अंकित है। ई से एफ मुलजिम नरेन्द्र शर्मा व जी से एच मुलजिम रामनारायण के हस्ताक्षर है। आई से जे कायमी मुकदमा है। मुलजिम रामनारायण व मुलजिम नरेन्द्र की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 व 6 है जिस पर सी से डी व ई से एफ मुलजिमान के हस्ताक्षर है। फर्द नमूना शील प्रदर्श पी 07 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है ई से एफ व जी से एच मुलजिमान के हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर नमूना शील अंकित है। फर्द नष्टीकरण नमूना शील प्रदर्श पी 08 है जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ व जी से एच मुलजिमान के हस्ताक्षर हैं। फर्द पुनः नमूना शील पदर्श पी 09 है जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ व जी से एच मुलजिमान के हस्ताक्षर हैं एक्स स्थान पर नमूना शील अंकित है। दिनांक 22.09.2017 को धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना श्रीमान् सीओ साहब के. पाटन को कानि. यशपाल के मार्फत दि गई। सूचना प्रदर्श पी 11 जिस पर ए से बी पत्र प्राप्ति का पृष्ठांकन है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 22.09. 2017 को घटनास्थल का नक्शामौका उसकी निशादेही से अनुसंधान अधिकारी वासुदेव एस आई थानाधिकारी कॉग्रेन द्वारा बनाया जो, प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में जप्तशुदा माल की एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है जो प्रदर्श पी 13 है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में गवाह कथन करता है कि उसे कोई अवैध सामग्री होने पर शक हुआ था। जिस स्थान पर मुलजिमान को पकड़ा, उस जगह पर घनी आबादी दो किलोमीटर दूर है। मुलजिमान को जहाँ पकड़ा वहाँ पर कोई रिहायशी कॉलोनी नहीं थी। पवन कुमार को स्वतंत्र गवाह लाने को उसने भेजा तो, वह पैदल ही गया था। मुलजिमान के पास जो प्लास्टिक की थैली मिली, उस मटमेले कलर की थैली में, डोडा चूरा मिला। अचानक चैकिंग होने से मुलजिमान को धारा 50 का एन डी पी एस एक्ट का नोटिस नहीं दिया। जब उन्होंने मुलजिमान को देखा तो, प्लास्टिक की थैली रामनारायण ने पकड़े हुये व नरेन्द्र मोटरसाईकिल चला रहा था। गवाह यह सही होना बताता है कि संभवतय यह भी हो सकता है कि नरेन्द्र ने रामनारायण को लिफ्ट दी हो। गवाह यह सही होना बताता है कि मुलजिमान जामा तलाशी में उनके शरीर से कोई मादक पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। जिस वक्त उसने मादक

पदार्थ पकड़ा उस वक्त व नरेन्द्र के पजेशन में नहीं था, बल्कि रामनारायण के पजेशन में था तथा जप्तशुदा माल का एफ.एस.एल. को एफ.एस.एल. के लिये उसने नहीं भेजा। गवाह यह सही होना बताता है कि पवन कुमार ने अपने जवाब में यह नहीं लिखा की, उसने किन–किन व्यक्तियों के स्वतंत्र गवाह बनने हेतु कहा, उनके नाम नहीं बताया। पवन कुमार आम रोड़ पर स्वतंत्र गवाह की तलाशी में गया था। जहां मुलजिमान को पकड़ा व आम रोड़ हैं। फर्द बरामदगी उसके द्वारा बपनाई गयी थी। उसने बरामदगी स्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया। गवाह यह सही होना बताता है कि उसने अपेन बयानों में यह नहीं बताया कि उसने मौके पर नमूना शील को नष्ट कर, उसकी फर्द बनाई हो। पुलिस थाने की जिस शील से पुनः शील किया व नष्ट की, क्योंकि वो नष्ट नहीं हेाती। गिरफ्तारी के बाद उसने मुलजिमान का, नशे बाबत कोई मेडिकल नहीं करवाया। उसे उसके अनुभव के आधार पर यह व्यक्ति नशे करने वाले लगे।

10. प्रकरण में जप्ती के मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू–2 पवन कुमार जप्ती का मुख्य गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 21.09.17 को थाना के. पाटन में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन लक्ष्मणलाल एस आई के साथ में, महावीर कानि., नरेश कानि. मय अनुसंधान बॉक्स के अवैध कार्यों की चौंकिग हेतु समय 4:43 पी.एम. पर थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए राजराजेश्वर रोड, काली देवरी मंदिर के सामने रोड पर पहुंचकर आने जाने वाले वाहनों को चैक कर रहे थे। 5:10 पी.एम. पर पटौलिया गाँव की तरफ से एक टीवीएस मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठकर आते हुए नजर आए, जो पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल को घुमाकर भागने लगे, जिस पर एएसआई साहब ने जाब्ते की मदद से दोनों व्यक्तियों को रोका व देखा तो दोनों के बीच मोटरसाईकिल पर एक प्लास्टिक की थैली सफेद रंग की रखी हुई थी। चाालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम नरेन्द्र उर्फ कम्मू बताया तथा पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम रामनारायण बताया। दोनों से प्लास्टिक की थैली के बारे में पूछा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर एएसआई साहब ने कार्यवाही हेतु उसे दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु लिखित में नोटिस देकर भेजा। उसने आसपास स्वतंत्र गवाह की तलाश की, किन्तु कोई व्यक्ति कानूनी पेचिदगियों की वजह से गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने 10 मिनट बाद 5:30 पीएम पर आकर एएसआई साहब को बताया, जिस पर एएसआई साहब ने उसे व महावीर कानि. को लिखित में सहमति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह मामूर किया व एएसआई साहब ने अपनी तलाशी हम दोनों गवाहों को दी व दोनों गवाहों की तलाशी एएसआई साहब ने ली, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। फिर एएसआई साहब ने नरेन्द्र उर्फ कम्मू व रामनारायण के बीच में मोटरसाईकिल पर रखी प्लास्टिक की थैली को नीचे उतार कर खोल कर देखा, उसमें मटमेले कलर का चूरा भरा हुआ मिला, जिसको एएसआई साहब ने सूघा व जाब्ते के सुंघाया, सभी ने मादक पदार्थ अफीम के डोडा

का चूरा होना बताया व नरेन्द्र उर्फ कम्मू तथा रामनारायण ने भी अफीम के डोडे का चूरा होना बताया, जिसका एएसआई साहब ने इलेक्ट्रोनिक काटे पर तोल किया तो थैली सहित मय बारदाना के 496 ग्राम वजन पाया गया व थैली निकाल कर अफीम के डोडे के चूरे का शुद्ध वजन 490 ग्राम पाया गया। जिस पर एएसआई साहब ने दोनों से मादक पदार्थ अफीम के डोडा के चूरा कब्जे में रखने का लाईसेंस मांगा, जो नहीं होना बताया, जिस पर एएसआई साहब ने 490 ग्राम में से 50—50 ग्राम के दो सैम्पल नमूना निकाल कर प्लास्टिक की थैली में रखा। कपडे की थैली में अलग—अलग रखकर एएसआई साहब के निजी सील से सील्ड मोहर कर मार्क ए व मार्क बी अंकित किया। शेष मादक पदार्थ डोडा चूरा 390 ग्राम उसी प्लास्टिक की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क सी अंकित किया। मोटरसाईकिल के नं. आरजे 08 एसके 5264 टीवीएस स्पोर्टस को जब्त कर मुल्जिम को गिरफ्तार किया। मय माल मुल्जिम थाने पर पहुंचकर जब्तशुदा मार्क ए. बी व सी को थाने की सील से पुनः सील्ड मोहर किया गया व माल को मालखाना में जमा करवाया गया व मुल्जिम को बंद हवालात किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी.2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। स्वतंत्र गवाह तलब करने बाबत एएसआई साहब द्वारा दिया गया नोटिस प्रदर्श पी.3 है. जिस पर ए से बी उसका पृष्ठाकंन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। स्वतंत्र गवाह बनने बाबत लिखित में दी गई सहमति प्रदर्श पी.4 है, जिस पर ए से वी उसकी सहमति व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.5 व पी.6 है. जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एएसआई साहब ने कार्यवाही के दौरान फर्द नमूना सील अंकित की थी, जो प्रदर्श पी.—7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एएसआई साहब ने भी स्वयं की निजी सील को कार्यवाही के बाद नष्ट कर फर्द नष्टीकरण नमूना सील मुर्तिब किया, जो प्रदर्श पी.8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। थाने की सील से जब्तशुदा माल को पुनः सील्ड मोहर किया था, जिसकी मोहर प्रदर्श पी.9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा—मौका वासुदेव थानाधिकारी कापरेन द्वारा उसके सामने बनाया गया था, जो प्र.पी.—10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में गवाह यह सही होना बताता है कि घटना 21.09.17 समय 5:20 पी.एम. की है। गवाह यह सही होना बताता है कि फर्द जब्ती 5:20 पी.एम. पर बनाई गई। 5:20 से फर्द जब्ती व चौकिंग में जो समय अंकित है, उसके 10—15 मिनट बाद ली गई थी। उसके पास कोई मादक पदार्थ के बाबत कोई सर्टीफिकेट नहीं है, अजखुद कहा कि उसने सूंघा था। स्वतंत्र गवाह बाबत वह गया था, जो आसपास 100—50 मीटर की दूरी तक गया था। जिस वक्त मुल्जिम को पकड़ा उस वक्त गोपाल फर्नीचर वाले की दुकान खुली हुई थी अथवा बंद थी, उसे मालूम नहीं है। दिनांक 21.09.17 को जब्ती चौंकिग अधिकारी द्वारा बरामदगीस्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया

गया। घटना के दिन 2—5 वाहन चौकिंग किए थे। चौकिंग हेतु मुल्जिम को धारा 90 एनडीपीएस का नोटिस नहीं दिया गया। यह वह नहीं बता सकता कि थैली में क्या था। अजखुद कहा कि तलाशी लिया जाना आवश्यक था। थैली प्लास्टिक की सफेद रंग की थी। घटनास्थल पर दूसरे दिन में, महावीर कानि., लक्ष्मणलाल एसआई अनुसंधान अधिकारी के साथ गए थे। उसने धारा 161 द.प्र.सं के बयान किस दिन दर्ज हुए, तारीख याद नहीं है। वे सरकारी जीप से गए थे, फिर कहा कि वे प्राईवेट वाहन से गए थे। उसे स्वतंत्र गवाह बनाने का जब नोटिस दिया गया था, जिसको ले जाकर वह गवाह ढूंढकर वापस आया उसके बाद ही फर्द चैंकिग व जब्ती बनाई थी। गवाह यह सही होना बताता है कि दिनांक 21.09.17 को 5:20 पी.एम. पर प्रदर्श पी 2 व पी 3 दोनों तैयार हो गई तथा प्रदर्श पी 3 उसे दी, उसके बाद 10 मिनट मुझे गवाह तलाश करने हेतु लगे थे एवं फर्द नष्टीकरण नमूना सील उसके सामने बनाई थी। गवाह यह सही होना बताता है कि फर्द नष्टीकरण नमूना सील पत्रावली में संलग्न है व फर्द नष्टीकरण नमूना सील 7:20 पी.एम. पर बनाई थी, जो कि मौके पर बनाई गई थी, 5:20 से लेकर 7.20 पी.एम. तक वे मौके पर ही थे। गवाह यह सही होना बताता है कि उसके जवाब में प्रदर्श पी. 3 स्वतंत्र गवाह तलब की तहरीर में यह नहीं लिखा कि वह कहाँ पर स्वतंत्र गवाह तलाश करने गया था। गवाह यह सही होना बताता है कि नरेन्द्र उर्फ कम्मू नशा करता है। मुकदमा उसी दिन दिनांक 21.09.17 को दर्ज करवा दिया था, लेकिन समय का उसे मालूम नहीं है। घटनास्थल के फोटोग्राफस उसके सामने ही खींचे थे। गवाह यह सही होना बताता है कि पत्रावली में शामिल सभी फोटोग्राफस कमरे के अंदर खींचे हुए हैं तथा जहाँ पर उन्होंने तलाशी व जब्ती बनाई थी, वहाँ के फोटोग्राफस नहीं हैं एवं फोटोग्राफस में कुछ माल खुला हुआ व कुछ सील अवस्था में है।

11. प्रकरण के अन्य प्रमुख साक्षी पी.डब्ल्यू—1 रामसहाय अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 21.09.2017 को थाना के.पाटन हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं. 385/17 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जब्तशुदा माल मालखाने में जमा किया था। जमा माल की प्रविष्टी मालखाना रजि. के क्रम संख्या 273/17 पर अंकित है। असल माल खाना रजिस्टर हाल न्यायालय में पेश है, जो प्र.पी.—1 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्र.पी.—1ए है, जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्त अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में गवाह कथन करता है कि पैकेटों में कितना—कितना माल है यह पैकेट के चिट पर अंकित नंबर को देखकर लिखा था। उसने खोल कर नहीं देखा कि पैकेट में क्या है।

12. प्रकरण के अन्य प्रमुख साक्षी पी.डब्ल्यू—4 नरेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 21.09.2017 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन लक्ष्मण लाल एस.आई. के साथ वह, पवन कुमार कानि. 223, महावीर मीणा कानि. 1069 के साथ अवैध कार्यों की चैकिंग हेतु थाने से 4:43 पी.एम. पर प्राईवेट वाहन से रवाना होकर आम रोड़ पर खड़े होकर आने—जाने वाले वाहन को चैक कर रहे थे तभी 5:10 पी.एम. पर पटोलिया गांव की तरफ से एक मोटरसाईकिल टी.वी.एस. पर दो व्यक्ति बैठकर आते नजर आये, जो पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल को वापस घुमाकर जाने लगा, जिसको एस.आई. साहब ने जाप्ते की मदद से रोका तो मोटरसाईकिल पर दोनों व्यक्तियों के बीच एक प्लास्टिक की थैली सफेद रंग की रखी हुयी थी। मोटरसाईकिल चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम नरेन्द्र उर्फ कम्मू बताया, पीछे बैठे हुये व्यक्ति ने अपना नाम रामनारायण बताया। मोटरसाईकिल आर.जे. 08 के. 5264 टी.वी.एस. स्पोर्टस थी। अतः व्यक्तियों से मोटरसाईकिल पर रखी प्लास्टिक की थैले के बारे में पूछा, कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी तलाशी हेतु एस.आई. साहब ने 5:20 पी.एम. पर पवन कुमार कानि. को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु लिखित में नोटिस देकर भेजा, जिसने 10 मिनट बाद वापस आकर लिखित में बताया कानूनी पेचीगदी के कारण कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर एस.आई. साहब ने जाब्ते में से महावीर मीणा व पवन कुमार को लिखित में गवाह बनने बाबत सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर कर एस.आई. साहब ने अपनी तलाशी गवाहान को दी व गवाहान की तलाशी एस.आई. साहब ने ली, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, जिस पर मोटरसाईकिल पर रखी सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली को खोलकर देखा तो उसमें मटमेले रंग का चूरा भरा हुआ था, जिसको एस.आई. साहब ने व जाब्ते ने सूंघा, परखा तो सभी ने मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा होना बताया, जिसका इलेक्ट्रोनिक कांटे से तोल किया तो थैली सहित 496 ग्राम व बिना थैली के 490 ग्राम वजन पाया। मुलजिमान से अफीम के डोडे का चूरा रखने का लाइसेंस मांगा तो नहीं होना बताया, जिस पर एस.आई. साहब ने 490 ग्राम में से 50—50 ग्राम के दो सेम्पल नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल निकालकर प्लास्टिक की थैली में रखकर व कपड़े की थैली में रखकर स्वयं की निजी शील से शील्ड मोहर कर मार्क ए व मार्क बी अंकित किया व शेष मादक पदार्थ 390 ग्राम डोडा चूरा को उसकी प्लास्टिक की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क सी दिया गया व मोटरसाईकिल को जब्त कर मुलजिमान को गिरफ्तार कर मय माल मुलजिम थाने पर पहुंच कर माल को थाने की शील से पुनः शील मोहर किया।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में गवाह यह सही होना बताता है कि मोटरसाईकिल पर मादक पदार्थ की थैली दोनों के बीच में रखी हुयी थी। गवाह यह सही होना बताता है कि मादक पदार्थ थैली के बाहर से नजर नहीं आ रहा था। मोटरसाईकिल रामनारायण चला रहा था। नरेन्द्र पीछे बैठा हुआ था। तथा दोनों के हाथों से व शरीर पर कोई माल बरामद नहीं हुआ। गवाह यह सही होना बताता है कि मुलजिमान को जाता हुआ रोका वा आम रास्ता है तथा जहां मुलजिमान को पकड़ा वहां मकान बने हुये थे। गवाह यह सही होना बताता है कि वह मुलजिमान को रोका पकड़ा और माल देखा औश्र लेकर थाने पर आ गये।

13. इस संबंध में प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू—5 बासुदेव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 21.09.2017 को थाने काप्रेन में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन लक्ष्मणलाल एस.एच.ओ. के.पाटन में प्रकरण स. 385/2017 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान मय फर्दात के उसे सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान उसने घटनास्थल नक्शा मौका फरियादी लक्ष्मण लाल एस.एच.ओ. के.पाटन की निशादेही से बनाया जो प्र.पी.—10 है। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। व बयान लक्ष्मणलाल एस.एच. ओ., नरेश कानि., महावीर काानि, पवन कुमार कानि. अनिल कानि., यशपाल कानि., रामसाहय हैड कानि., के उनके कहेनुसार बयान लेखबद्ध किये। एफ.एस.एल. जमा कराने की रसीद व माल खाना रजिस्टर व रोज. आम रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। नकल रपट रोज. आम की सत्यापित प्रति प्रपी 14 लगायत प्र.पी.—16 है। मुलजिम नरेन्द्र उर्फ कम्मू व रामनारायण का आपराधिक रिकॉर्ड प्र.पी.—10 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया, जो प्र.पी.17 है। अनुसंधान से मुलजिम नरेन्द्र उर्फ कम्मू व रामनारायण के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली थानाधिकारी के.पाटन को सुपुर्द की थी। प्रकरण में जब्त शुदा माल की एफ.एस.एल. जांच उसके द्वारा करवाई गयी थी।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में गवाह यह सही होना बताता है कि फर्दात के साथ्ज्ञ बरामदगी स्थल का नक्शा मौका पत्रावली के साथ प्राप्त नहीं हुआ था तथा घटनास्थल के आसपास कोई स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिया था। गवाह यह सही होना बताता है कि उसने फर्द जब्ती व जब्ती अधिकारी एवं जब्ती के गवाहान व दिगर अनुसंधान से मुलजिमकों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित माना था।

14. प्रकरण में परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू—6 यशपाल ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 22.09.2017 को थाना के. पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्री रामानंद थानाधिकारी थाना के.पाटन ने प्रकरण संख्या 385/2017 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस धारा 57 एनडीपीएस एक्ट सूचना का बंद लिफाफा नोटिस श्रीमान वृताधिकारी वृत के.पाटन को पेश करने हेतु दिया था। वह थाने से समय 12:20 पीएम पर रवाना होकर वृताधिकारी महोदय के.पाटन के कार्यालय में पहुंचा। जहां पूछताछ में वृताधिकारी का काप्रेन जाना बताया। रवाना होकर वह कापरेन पहुंचा जहां श्रीमान वृताधिकारी को प्रकरण हाजा की धारा 57 एनडीपीएस की सूचना का नोटिस की दूसरी प्रति पर प्राप्ति रशीद प्राप्त कर समय 07:19 पीएम पर वापस थाना आया। प्राप्ती रशीद श्रीमान थानाधिकारी महोदय रामानंद को सुपुर्द की गयी।

15. इसी क्रम में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू—7 अनिल अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 04.10.2017 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्री रामसहाय हेडकानि. ने मुकदमा नंबर 385/17 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जप्तशुदा शिल्ड बंद पेकेट मय कागजात एफएसएल जयपुर में जमा कराने हेतु देकर रवाना किया। जिसपर वह माल मय कागजात के रवाना हो कार्यालय श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी पहुंचा और एफएसएल जयपुर के नाम कागजात तैयार करवाये। रवाना हेाकर दिनांक 05.10.2017 को एफएसएल जयपुर पहुंचा माल मय कागजात जमा करवाकर उसी दिन रशीद प्राप्त की। रवाना हेाकर दीगर राज कार्य करता हुआ दिनांक 08.10.2017 को वापस थाना आया रशीद जमा मालखाना करवायी।

16. इसी क्रम में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू—8 रामानंद यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 31.10.2017 को थानाधिकारी थाना के. पाटन के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 385/2012 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट की पत्रावली बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी वासुदेव चारण थानाधिकारी थाना काप्रेन ने उसके समक्ष भिजवाई। उसने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व अनुसंधान से मुलजिम नरेंद्र उर्फ कम्मू पुत्र छेलबिहारी व रामनारायण पुत्र फातुलाल के विरूद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। पत्रावली में माल एफएसएल जांच हेतु अनिल कानि. के माध्यम से जमा कराया जाकर जिसकी रसीद शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी—18 है। माल एफएसएल जांच हेतु जमा कराने का

अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–19 है जो शामिल पत्रावली है। उसके द्वारा मुलजिम नरेंद्र उर्फ कम्मू व रामनारायण के विरूद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट की चार्जशीट कता कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में गवाह यह सही होना बताता है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली में जब्ती की कार्यवाही में व अनुसंधान में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं था तथा उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद ही उसने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

17. अभियोजन पक्ष के गवाहान पी.डब्ल्यू–3 लक्ष्मण लाल, पी.डब्ल्यू–2 पवन कुमार के बयानों से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्र गवाहान नहीं मिलने की स्थिति में महावीर एवं पवन कुमार कानि. की उपस्थिति में स्वयं तत्कालीन एस.आई. लक्ष्मण लाल द्वारा अभियुक्तगण की तलाशी ली गयी थी, जिसके पास मोटरसाईकिल पर एक प्लास्टिक की थैली में 496 ग्राम डोडा चूरा होना पाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य फर्द जप्ती एवं फर्द चैकिंग प्रदर्श पी. 2 से इस बात की पुष्टि होती है, किन्तु न्यायालय के समक्ष यह दर्शित है कि अभियुक्तगण से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ की तलाशी अथवा जप्ती करते समय धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट में वर्णित प्रावधान की पालना नहीं की गयी है।

18. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कहानी अनुसार अभियुक्तगण से जरिये फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी–2 के मादक पदार्थ डोडा चूरा जप्त कर उसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर एफ.एस.एल रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें मार्क ए के सैंपल पैकेट में डोडा चूरा होने का तथ्य बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के कब्जे से जप्तशुदा पदार्थ डोडा चूरा था। प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्त मादर्क पदार्थ के संबंध में अभियोजन की ओर से की गई संपूर्ण कार्यवाही की वैधता को देखा जाना आवश्यक है। जप्तीकर्ता पी–डब्लू 3 लक्ष्मण लाल व अन्य जाप्ते के गवाहान की संपूर्ण साक्ष्य को गहनता से देखा जाये तो यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण की निजी तलाशी लिये जाने से पूर्व अभियुक्तगण को धारा 50 अधिनियम, 1985 के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना में किसी प्रकार का लिखित नोटिस नहीं दिया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 50 अधिनियम, 1985 के प्रावधान आज्ञात्मक प्रकृति के है, जिनकी सही एवं सुनिश्चित पालना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने भी न्यायिक दृष्टांत **Vijaysinh Chandubha Jadeja v/s State of Gujarat, (2011) 1 SCC 609 में अधिनियम,1985** की अपेक्षाओं का अनुपालन आज्ञात्मक माना है। हस्तगत

प्रकरण में जप्तीकर्ता स्वयं लक्ष्मण लाल पी.डब्लू—3 व जप्ती के अन्य गवाहों कि और से यह स्वीकृत तथ्य आया है कि उनके द्वारा अभियुक्तगण को लिखित में निजी तलाशी लिये जाने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। पत्रावली पर मौजूद सामग्री से यह स्वीकृत तथ्य है कि जिस समय डोडा चूरा बरामद किया था, वहां स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी नहीं था, इसलिए गश्ती बल के पुलिसकर्मी अभियुक्तगण की तलाशी लिये जाने व डोडा चूरा बरामदगी करने के लिये सशक्त नहीं थे, जैसा कि अधिनियम, 1985 की धारा 50 के अधीन उपबंधित है। पत्रावली पर भी धारा 50 अधिनियम, 1985 की पालना के संबंध में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि जप्तीकर्ता द्वारा अधिनियम, 1985 की धारा 50 के विहित आज्ञात्मक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं आई है कि अभियुक्तगण के कब्जे से आपत्तिजनक वस्तु अलग किये बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना संभव नहीं था। अभियोजन हस्तगत मामले में अभियुक्तगण की ली गई तलाशी व बरामदगी अधिनियम, 1985 की धारा 50 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार होना साबित करने में असमर्थ रहा है, जिससे अभियुक्तगण के कब्जे से तथाकथित मादक पदार्थ डोडा चूरा की जप्ती संदेहास्पद प्रकट होती है।

19. पत्रावली पर अभियुक्तगण नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनारायण को आरोपित अपराध से जोड़ने लायक अन्य किसी प्रकार की ठोस व सुदृढ साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके अभाव में अभियुक्तगण नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनारायण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता।

20. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्तगण नरेन्द्र उर्फ कम्मु व रामनारायण ने दिनांक 21.09.2017 को समय 05:20 पी.एम. या उसके लगभग मौजा राजराजेश्वर रोड़ के. पाटन में अन्य साथी अभियुक्त के साथ एक टीवीएस मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 08 एस.के. 5264 पर अपने सज्ञान कब्जे में एक प्लास्टिक की थैली में 496 ग्राम डोडा चूरा कब्जे में रखकर परिवहन करते पाये गये। एतत्द्वारा आपके एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है।

—:आदेशः—

21. अतः **अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र उर्फ कम्मु** पुत्र छेलबिहारी उम्र 39 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 13 लाल चौक के.पाटन, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **2. रामनारायण** पुत्र फातुलाल उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड न. 8 के. पाटन थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

22. धारा 437 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत बन्ध—पत्र छह माह तक प्रवृत रहेंगे।

23. प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये। अपील होने की दशा में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

(साक्षी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन
जिला बूंदी (राज.)

24. निर्णय व आदेश आज दिनांक 10.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साक्षी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन
जिला बूंदी (राज.)